राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

निष्पादक समिति की छठी बैठक दिनांक 20.09.2010

कार्यवाही विवरण

दिनांक 20.09.2010 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर की निष्पादक समिति की छठी बैठक शिक्षा संकुल, जयपुर के प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष (चिन्तन) में माननीय प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :–

1. श्री अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, जयपुर
2. श्री भास्कर दास गुप्ता, अवर शासन सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. श्री सियाराम मीणा, शिक्षा सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, जयपुर
4. श्रीमती वीनू गुप्ता, आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर
5. श्री भास्कर ए. सावंत, राज्य परियोजना निदेशक एवं निदेशक (मा.शि.), जयपुर
6. श्री कुन्जी लाल मीणा, निदेशक (आई.ई.सी.), जयपुर
7. श्री श्याम सुन्दर बिस्सा, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर
8. श्री बी.एल. नवल, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रा.मा.शि.प., जयपुर
9. श्री मधुसुदन शर्मा, निदेशक साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, जयपुर
10. श्री एच.एस. भारद्वाज, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर
11. श्रीमती मनीषा अरोड़ा, सचिव राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर
12. श्री सुरेश गुप्ता, उप सचिव (वित्त), जयपुर
13. श्री एम.आर. शर्मा, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर
14. श्री देवेन्द्र शर्मा (आर.ए.एस.), आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधी
15. श्री बी.एन. दायमा, सचिव, आर.एस.ओ.एस., जयपुर
16. श्रीमती रश्मि भार्गव, प्राचार्य, एसआईईआरटी, उदयपुर
17. श्री सचिन भार्गव, साईन्टिफिक ऑफिसर, एनआईसी, जयपुर
18. श्री विनोद कुमार जैन, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्टि, एनआईसी, जयपुर
19. श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता, एसओ, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर
20. श्री मनीन्दर सिंह, सहायक अभियन्ता, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर
21. श्री रवीन्द्र कुमार लाटा, सहायक निदेशक, आर.सी.एस.ई., जयपुर
22. श्रीमती राजेश्वरी कालिया, सहायक निदेशक, आर.सी.एस.ई., जयपुर
23. श्रीमती ममता दाधीच, सहायक निदेशक, आर.सी.एस.ई., जयपुर
24. श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सलाहकार, आर.सी.एस.ई., जयपुर
25. श्रीमती तूलिका दानी, कार्यक्रम अधिकारी, आर.सी.एस.ई., जयपुर

इस बैठक में प्रस्तावित एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा के बाद सर्व सम्मति से किए गए निर्णय निम्न प्रकार हैं –

क. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
1	**प्रस्ताव सं. 1 – निष्पादक समिति की गत बैठक में लिए गए निर्णयों एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का अनुमोदनः–** दिनांक 19.04.2009 को आयोजित निष्पादक समिति की चतुर्थ बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का विवरण तथा दिनांक 16.07.2010 को आयोजित पांचवीं बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का विवरण Annexure-I में दर्शाकर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	19.041.10 की चतुर्थ बैठक तथा 16.07.10 की पाँचवीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।
2.	**प्रस्ताव सं. 2 – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना का अनुमोदन** :– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत चलने वाले राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना बनाने हेतु अब तक प्राप्त दिशानिर्देशों तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न Stake Holders के द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुरूप वर्ष 2010–11 के लक्ष्य तय	

करते हुये योजना लेखन का कार्य किया जा रहा है। इस योजना लेखन कार्य को अंतिम रूप देने के लिये अब तक तय किये गये लक्ष्यों के अनुरूप निम्न प्रकार प्रस्तावित कार्य एवं गतिविधियॉ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है (मांग का मदवार विद्यालय की अवधिवार व जिलेवार विवरण एनेक्सर 2 व 3 में सलग्न है) –

1. **अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण** – राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु प्रति कक्षा कक्ष के लिये 5.625 लाख रूपये की दर से पुरानी विद्यालयों में 1162 व नव क्रमोन्नत विद्यालयों मे 214 कक्षा कक्षों का निर्माण करने के लिये **कुल 1376 कक्षा कक्षों के लिये 7740.00 लाख रूपये** की आवश्यकता की मांग करना।
2. **प्रयोगशाला कक्षों का निर्माण** – राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु प्रति प्रयोगशाला कक्ष के लिये 6.100 लाख रूपये की दर से पुरानी विद्यालयों में 590 व नव क्रमोन्नत विद्यालयों मे 107 प्रयोगशाला कक्षों का निर्माण करने के लिये **कुल 697 प्रयोगशाला कक्षों के लिये 4251.700 लाख रूपये** की आवश्यकता की मांग करना।
3. **प्रधानाध्यापक कक्षों का निर्माण** – राजकीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य कक्षों का निर्माण करने के लिये प्रति प्रधानाध्यापक कक्ष हेतु 5.00 लाख रूपये की दर से पुरानी विद्यालयों में 722 व नव क्रमोन्नत विद्यालयों मे 107 प्रधानाध्यापक कक्षों का निर्माण करने के लिये **कुल 829 प्रधानाध्यापक कक्षों हेतु 4145.00 लाख रूपये** की आवश्यकता की मांग करना।
4. **पुस्तकालय व वाचनालय कक्षों का निर्माण** – राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुविधा हेतु पुस्तकालय व वाचनालय कक्षों का निर्माण करने के लिये प्रति कक्ष हेतु 7.00 लाख रूपये की दर से पुरानी विद्यालयों में 351 व नव क्रमोन्नत विद्यालयों मे 107 पुस्तकालय व वाचनालय कक्षों का निर्माण करने के लिये **कुल 458 कक्षों हेतु 3206.00 लाख रूपये** की आवश्यकता की मांग करना।
5. **बालिकाओं हेतु शौचालय कक्षों का निर्माण** – राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाली छात्राओं के लिये शौचालयों का निर्माण करने के लिये प्रति शौचालय कक्ष हेतु 1.5 लाख रूपये की दर से पुरानी विद्यालयों में 866 व नव क्रमोन्नत विद्यालयों मे 107 शौचालयों का निर्माण करने के लिये **कुल 973 शौचालयों हेतु 1459.500 लाख रूपये** की आवश्यकता की मांग करना।
6. **पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाने** – राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु विद्यालयों में वर्षा जल संग्रहण अथवा नल कनेक्शन लेकर जल संग्रहण करने हेतु 472 पुरानी विद्यालयों तथा 107 नये विद्यालयों में प्रति विद्यालय 1.00 लाख रूपये की दर से **कुल 579 विद्यालयों के लिये 579.00 लाख रूपये** की राशि की मांग करना।
7. **विधुत सुविधा उपलब्ध करवाने** – राजकीय विद्यालयों में विधुत सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु विद्यालयों में सोलर सिस्टम अथवा विधुत कनेक्शन लेकर विधुत फिटिंग करने आदि हेतु 448 पुरानी विद्यालयों तथा 107 नये विद्यालयों में प्रति विद्यालय 1.00 लाख रूपये की दर से कुल **555 विद्यालयों के लिये 555.00 लाख रूपये** की राशि की मांग करना।
8. **कार्यालय कक्ष का निर्माण करना** – राजकीय विद्यालयों में कार्यालय कक्षों का निर्माण करवाने हेतु 147 पुरानी विद्यालयों तथा 107 नव क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रति विद्यालय 5.00 लाख रूपये की दर से **कुल 254 विद्यालयों के लिये 1270.00 लाख रूपये** की राशि की मांग करना।
9. **कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण करना** – राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर कक्षों का निर्माण करवाने हेतु 186 संस्कृत विद्यालयों तथा 107 नव क्रमोन्नत विद्यालयों

बिन्दु संख्या 1 से 17 तक के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न निर्णय और लिए गए:–

(i) सिविल कार्य हेतु संस्कृत विद्यालयों से भी प्रस्ताव प्राप्त किए जावें तथा उन विद्यालयों में किए जाने वाले सिविल कार्यों को भी RMSA की वार्षिक योजना में शामिल किया जावे।

(ii) प्रयोगशाला कक्ष निर्माण व प्रयोगशाला उपकरणों को अलग–अलग इकाई मानने के स्थान पर एक ही इकाई मानी जावे।

(iii) सोलर विद्युत उपकरणों की स्थापना के समय उनको चोरी व अन्य नुकसान से बचाने के उपाय भी किए जावे।

(iv) बिन्दु सं. 11 में फर्नीचर उपलब्ध करवाने हेतु फर्नीचर का स्पेशीफिकेशन भी तय किया जावे।

(v) बिन्दु सं. 12 में खेल मैदानों के विकास के लिए जारी की जाने वाली राशि के उपयोग हेतु उचित दिशा निर्देश तय किए जावे।

(vi) संस्कृत विद्यालयों को भी नियमित विद्यालय मानते हुए उनके लिए भी वार्षिक अनुदान की राशि की मांग की जावे।

(vii) जिलों से प्राप्त सूचना व उक्त सुझावों को मध्यनजर रखते हुए यदि विद्यालयों की संख्या व मांग राशि में कोई परिवर्तन होता है तो वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देते समय वह परिवर्तन किया जावे।

में प्रति विद्यालय 5.00 लाख रूपये की दर से **कुल 293 विद्यालयों के लिये 1465.00 लाख रूपये** की राशि की मांग करना।

10. **नव निर्मित प्रयोगशाला कक्षों में प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध करवाना** – उक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार बनने वाली **697 नवीन प्रयोगशाला कक्षों में** प्रति प्रयोगशाला कक्ष 1.00 लाख रूपये की दर से **कुल 697.00 लाख रूपये** की राशि की मांग करना।
11. **विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध करवाना** – राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत छात्रों/अध्यापकों/कर्मचारियों/आगन्तुकों की बैठक व्यवस्था के लिये **400 पुरानी विद्यालयों में** 1.00 लाख रूपये प्रति विद्यालय की दर से **कुल 400.00 लाख रूपये** की राशि की मांग करना।
12. **खेल मैदानों का विकास करना** – प्रत्येक ब्लॉक में 1 विद्यालय का चयन करते हुये कुल 248 राजकीय विद्यालयों हेतु 0.200 लाख रूपये की दर से 49.60 लाख रूपये की राशि की मांग करना।
13. **विद्यालयों में भवन मरम्मत हेतु राशि उपलब्ध करवाना** – प्रत्येक ब्लॉक में से औसतन 3 विद्यालयों का चयन करते हुये **कुल 751** राजकीय विद्यालयों में भवन मरम्मत हेतु **1439.535 लाख रूपये** की राशि की मांग करना। इस मद में अधिकतम 2.00 लाख रूपये प्रति विद्यालय दिया जाना प्रस्तावित है।
14. **पुस्तकालय व वाचनालय में पुस्तक/पत्र पत्रिका/समाचार पत्र क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध करवाना** – राज्य में स्थित सभी राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय 10 हजार रूपये की दर से **कुल 11128 विद्यालयों हेतु 1070.650 लाख रूपये** की राशि की मांग करना (1686 नव क्रमोन्नत विद्यालयों हेतु 9 माह की अवधि के लिये 7.5 हजार रूपये प्रति विद्यालय की दर से ही राशि की मांग की जा रही है)।
15. **विद्यालय में छोटी मोटी मरम्मत करने हेतु राशि उपलब्ध करवाना** – राज्य में स्थित सभी राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवन, उपकरण आदि की मरम्मत हेतु प्रति विद्यालय 25 हजार रूपये की दर **से कुल 11128 विद्यालयों हेतु 2676.625 लाख रूपये** की राशि की मांग करना (1686 नव क्रमोन्नत विद्यालयों हेतु 9 माह की अवधि के लिये 18.75 हजार रूपये प्रति विद्यालय की दर से ही राशि की मांग की जा रही है)।
16. **प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत व क्रय हेतु राशि उपलब्ध करवाना** – राज्य में स्थित नव क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला हेतु अतिआवश्यक उपकरणों की मरम्मत व प्रतिस्थापन हेतु प्रति विद्यालय 25 हजार रूपये की दर से **कुल 4804 विद्यालयों हेतु 1095.625 लाख रूपये** की राशि की मांग करना (1686 नव क्रमोन्नत विद्यालयों हेतु 9 माह की अवधि के लिये 18.75 हजार रूपये प्रति विद्यालय की दर से ही राशि की मांग की जा रही है)।
17. **विद्यालयों में वार्षिक अनुदान हेतु राशि उपलब्ध करवाना** – राज्य में स्थित सभी राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक कार्यो हेतु प्रति विद्यालय 50 हजार रूपये वार्षिक की दर से **कुल 11128 विद्यालयों हेतु 5353.250 लाख रूपये** की राशि की मांग करना (1686 नव क्रमोन्नत विद्यालयों हेतु 9 माह की अवधि के लिये 37.50 हजार रूपये प्रति विद्यालय की दर से ही राशि की मांग की जा रही है)। इस राशि का विवरण निम्न प्रकार है–
    a) खेलकूद उपकरण, ड्रेस आदि – 10.00 हजार रूपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष (इस वर्ष प्रारम्भ होने वाले विद्यालयों हेतु 7.5 हजार रूपये प्रति विद्यालय)
    b) शिक्षण सहायक सामग्री – 3.00 हजार रूपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष (इस वर्ष प्रारम्भ होने वाले विद्यालयों हेतु 2.25 हजार रूपये प्रति

विद्यालय) c) सह शैक्षिक गतिविधि संचालन – 3.00 हजार रूपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष (इस वर्ष प्रारम्भ होने वाले विद्यालयों हेतु 2.25 हजार रूपये प्रति विद्यालय) d) स्टेशनरी सामग्री क्रय करने – 3.00 हजार रूपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष (इस वर्ष प्रारम्भ होने वाले विद्यालयों हेतु 2.25 हजार रूपये प्रति विद्यालय) e) टेलिफोन व इंटरनेट सुविधा व्यय – 15.00 हजार रूपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष (इस वर्ष प्रारम्भ होने वाले विद्यालयों हेतु 11.25 हजार रूपये प्रति विद्यालय) f) अन्य आकस्मिक व्यय – 5.00 हजार रूपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष (इस वर्ष प्रारम्भ होने वाले विद्यालयों हेतु 3.75 हजार रूपये प्रति विद्यालय) g) सह शैक्षिक गतिविधि संचालन – 3.00 हजार रूपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष (इस वर्ष प्रारम्भ होने वाले विद्यालयों हेतु 2.25 हजार रूपये प्रति विद्यालय)	
18. **<u>शिक्षक वेतन मद में राशि की मांग करना</u>** – वैसे तो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008–09 में क्रमोन्नत किये गये माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व अन्य कार्मिकों के वेतन हेतु किसी भी प्रकार की राशि उपलब्ध करवाने से यह कहते हुये मना कर दिया गया है कि यह सभी विद्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रारम्भ होने से पूर्व ही क्रमोन्नत कर दिये थे, किन्तु फिर भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा जीआईएस मैपिंग, जिला शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट, राज्य की पिछड़ी हुयी शैक्षिक व वित्तीय स्थिति, अति अल्प जनसंख्या घनत्व, विषम भौगोलिक परिस्थितियॉ, इन विद्यालयों में शिक्षकों के पद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारम्भ होने के बाद इस वर्ष स्वीकृत करने व भरने आदि के आधार पर पुनः इन विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन मद में राशि स्वीकृत करने की मांग किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार वर्ष 2009–10 व वर्ष 2010–11 में क्रमोन्नत होने वाले माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों व अन्य कार्मिकों के वेतन हेतु राशि स्वीकृत करने के लिये भी मानव संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली के अनुसार कक्षा 9 व 10 प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों के 2 सेक्शन प्रति कक्षा तथा निकटतम माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों से 5 किलो मीटर की दूरी होना आवश्यक है। किन्तु, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा करवाये गये जीआईएस मैपिंग के अनुसार इन नव क्रमोन्नत विद्यालयों में से केवल लगभग 450 विद्यालय ही दूरी के मानदण्ड को पूरा कर पा रहे हैं, तथा नामांकन वाला मानदण्ड पूरा कर पाना तो लगभग सभी नव क्रमोन्नत विद्यालयों के लिये असम्भव है। अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा तय किये गये मानदण्डों के अनुसार इन विद्यालयों में भी शिक्षकों के वेतन मद में राशि प्राप्त हो पाना संदिग्ध ही है। तथापि राजस्थान राज्य में अति अल्प जनसंख्या घनत्व होने, पिछड़ी शैक्षिक/आर्थिक पारिवारिक पृष्ठभूमि होने, विद्यालयों में 5 किलो मीटर से कम की दूरी होने के बावजूद प्राकृतिक/मानव निर्मित भौतिक अवरोधों के कारण विद्यार्थियों का दूसरे विद्यालयों में जाने मे असमर्थ होने आदि कारणों के आधार पर सभी नव क्रमोन्नत विद्यालयों मे शिक्षकों व अन्य कार्मिकों के वेतन की मद में राशि की मांग किया जाना प्रस्तावित है। इस मांग का विवरण निम्न प्रकार है– i. जुलाई 2010 से प्रारम्भ हुये विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व संविदा पर लगने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु जुलाई 2010 से माच 2011 तक के 9 माह के लिये वेतन।	इस बिन्दु को अनुमोदित करते हुए निम्न सुझावों को वार्षिक योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया :– (i) सभी नये विद्यालयों में वेतन मद में 6 वरिष्ठ अध्यापकों का ही वेतन मांगा जावें। (ii) जुलाई, 2010 से प्रारंभ होने वाले विद्यालयों की सूची में उन सभी विद्यालयों को शामिल किया जावें जो PAB में प्रस्ताव भेजने तक क्रमोन्नत हो जाती है।

ii. उक्त विद्यालयों मे प्रति विद्यालय 3 वरिष्ठ अध्यापक, 1 पुस्तकालयाध्यक्ष, 1 शारीरिक शिक्षक, 1 एलडीसी के अनुपात मे कार्मिकों हेतु 6 माह के वेतन की मांग करना।

iii. जुलाई 2009 से प्रारम्भ हुये विद्यालयों हेतु 3 वरिष्ठ अध्यापकों के स्थान पर प्रति विद्यालय 6 वरिष्ठ अध्यापकों के वेतन की मांग करना।

iv. नव क्रमोन्नत विद्यालयों मे प्रधानाध्यापकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति जुलाई 2010 से मानकर तथा शेष पदों हेतु नियुक्ति अक्टुबर 2010 से की जानी मानकर वेतन की गणना की गई है।

v. वेतन मद में जुलाई 2009 से प्रारम्भ हुये विद्यालयों मे कुल 43215.480 लाख रूपये तथा जुलाई 2010 से प्रारम्भ हुये विद्यालयों मे 17298.307 लाख रूपये की राशि की मांग की गई है।

19. **<u>गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रमों हेतु राशि की मांग करना</u>** – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा राजस्थान राज्य में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन हेतु निम्न कार्यक्रमों का संचालन करने एवं राशि की मांग करना प्रस्तावित किया जाता है (मांग का मदवार एवं राशिवार विवरण एनेक्सर 4 में है) –

इस बिन्दु के उप शीर्षकवार अनुमोदन का विवरण प्रकार है:–

i. माध्यमिक कक्षाओं मे शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के स्तर का आंकलन करते हुये उन्हें दिये जाने वाले प्रशिक्षण के लिये Need Assessment करना– यह टेस्ट बनाने, टेस्ट आयोजित करने, रिपोर्ट बनाने, विश्लेषण करने आदि कार्यो के लिये कुल 10.00 लाख रूपये की राशि की मांग की जा रही है।

(i) Teacher need assessment प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

ii. शिक्षकों के लिये निम्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये राशि की मांग करना–

a) विषय अध्यापकों के प्रशिक्षण।
b) आईसीटी योजना के विद्यालयों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण।
c) 200 चयनित विद्यालयों के शिक्षकों व संस्था प्रधानों को लर्निंग लिंक फाउंडेशन द्वारा कम्प्यूटर की एडवांस ट्रेनिंग देना।
d) 500 चयनित पुस्तकालयाध्यक्षों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देना।
e) 3000 चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों को लीडरशिप ट्रेनिंग देना।

उक्त प्रशिक्षणों हेतु कुल 516.096 लाख रूपये की राशि की मांग की जा रही है।

(ii) शिक्षक प्रशिक्षण का यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

iii. कक्षा 9 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के अध्ययन स्तर (Learning Levels) की पहचान करने हेतु अध्ययन आयोजित करने के लिये 105.600 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है।

(iii) कक्षा 9 के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर की पहचान करने का यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

iv. आईसीटी विद्यालयों व अन्य विद्यालयों में कम्प्यूटर व अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणों पर आधारित (E-Learning) पाठ्य सामग्री तैयार करने, क्रय करने, वितरित करने, कार्यक्रम की मोनिटरिंग करने आदि हेतु कुल 146.550 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है।

(iv) ई–लर्निंग पाठ्य सामग्री का यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

v. राज्य के प्रत्येक जिले से 20 विद्यालयों का चयन करते हुये कुल 660 विद्यालयों में एज्युसेट उपग्रह के माध्यम से अध्ययन केन्द्र प्रारम्भ करना प्रस्तावित किया जाता है। यह सभी विद्यालय इस आधार पर चयनित किये गये हैं कि इनमें पिछले कई वर्षों से अध्यापकों के पद रिक्त रहते आये है, तथा इनमें अधिकतम छात्र शिक्षक अनुपात है। इस मद में 2.350 लाख रूपये प्रति विद्यालय की दर से कुल 1551.00 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है।

(v) एज्यूसेट पर आधारित शिक्षण हेतु प्रायोगिक तौर पर जयपुर व अजमेर संभाग से 100 विद्यालयों का चयन करते हुए प्रस्ताव को वार्षिक योजना में शामिल किया जावें।

vi. राज्य की चयनित 500 विद्यालयों में बेहतर पुस्तकालय सुविधायें उपलब्ध करवाने तथा प्रत्येक जिले में 1 साहित्य मेला आयोजित करने हेतु कुल 158 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है। इनमें से साहित्य मेले हेतु प्रति जिला 1 लाख रूपये व पुस्तकालय सुविधा हेतु 25000 रूपये प्रति विद्यालय की दर से राशि की मांग किया जाना प्रस्तावित है।	(vi) पुस्तकालय सुविधाओं के विकास का यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
vii. अंग्रेजी के शिक्षण हेतु कक्षा 9 की पाठ्य सामग्री का इन्टरएक्टिव रेडियो प्रोग्राम आधारित पाठों का रेडियो द्वारा प्रसारण करवाना। रेडियो पाठ्य सामग्री तैयार करवाने, शिक्षकों को रेडियो द्वारा पढ़ाने का प्रशिक्षण देने, पाठ्य सामग्री विद्यालयों में वितरित करने, रेडियो द्वारा प्रसारण का शुल्क चुकाने आदि कार्यो हेतु कुल 149.050 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है।	(vii) रेडियों द्वारा अंग्रेजी शिक्षण का प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह निर्णय किया गया कि प्रस्ताव को वास्तविक रूप प्रदान करते समय शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जावें।
viii. राज्य के 15 पिछड़े जिलों के सर्वाधिक दूरस्थ व आवागमन की सुविधा से वंचित ब्लॉकों मे प्रयोग के आधार पर प्रत्येक जिले मे 1 ब्लॉक का चयन कर उसमे महिला शिक्षकों व दूसरे जिलो में निवास करने वाले शिक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र के नजदीक आवास सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आवासीय संकुलों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह आवासीय संकुल 3 मंजिला व प्रत्येक मंजिल में 5 परिवारों हेतु आवासीय फ्लेट की सुविधा उपलब्ध करवाने वाले बनाये जाने प्रस्तावित है। इस हेतु 56.400 लाख रूपये प्रति संकुल की दर से कुल 861.00 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है।	(viii) पूर्व में ही बने राजकीय आवासीय भवनों की हालात व शिक्षकों द्वारा आवास सुविधा का उपयोग नहीं कर पाने की संभावना के कारण आवासीय कॉम्पलेक्स बनाने का यह प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
20. **<u>अंग्रेजी भाषा हेतु भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना करना</u>** – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना किये जाने का नवाचार प्रस्तावित है। यह प्रयोगशालायें इस वर्ष 7 संभाग मुख्यालयों पर खोली जानी प्रस्तावित है। यह भाषा प्रयोगशालायें अंग्रेजी भाषा की शिक्षा हेतु शिक्षकों व विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने में प्रयुक्त होंगी। इन भाषा प्रयोगशालाओं में आधुनिक कम्प्यूटर, अन्य उपकरणों की सुविधायें उपलब्ध करवाना व अंग्रेजी भाषा के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। इन भाषा प्रयोगशालाओं के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने की दशा मे माह दिसम्बर 2010 तक पूर्ण करवा लिया जायेगा तथा जनवरी 2011 से इनका वास्तविक उपयोग प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इस नवाचार हेतु निर्माण, संचालन, प्रशिक्षण आदि कार्यों पर होने वाले व्यय हेतु कुल 85.455 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है। **<u>अथवा</u>** उक्तानुसार भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के स्थान पर एक ओर विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। वर्तमान में अंग्रेजी भाषा के अध्यापन के लिए कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों हेतु एक ऐसा कार्यक्रम तैयार हुआ है जिसमें विद्यार्थी व शिक्षक अंग्रेजी भाषा की ग्रामर के नियमों, शब्दों के उच्चारण, साधारण बोल–चाल में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों आदि को ऑडियो–विजुअल प्रसारण के माध्यम से स्वयं सीख सकते है। इस कार्यक्रम में कम्प्यूटर पर चलने वाला सॉफ्टवेयर, पुस्तके, अभ्यास पुस्तिकाऐं आदि का उपयोग किया जाना शामिल है। इस कार्यक्रम की प्रति कम्प्यूटर लागत लगभग 75 हजार रूपये है, किन्तु यदि इस कार्यक्रम को अधिक मात्रा में खरीदा जाता है तो इसकी कीमत कम भी हो सकती है। इस कार्यक्रम के अब तक के प्रदर्शन बहुत ही प्रभावी रहें है। अतः भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के स्थान पर प्रयोगिक तौर पर आईसीटी योजना वाले 100 विद्यालयों में इस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है तो इसके अधिक प्रभावी होने की संभावना है। अतः उक्त में से कोई एक प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	इस बिन्दु पर लिए गए निर्णय के अनुसार भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए विद्यालयों में सॉफ्टवेयर प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

	21. परियोजना के संचालन, परिवेक्षण, मूल्यांकन व अनुसंधान हेतु राशि की मांग करना – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उक्त शीर्षकों के अन्तर्गत राशि की निम्न प्रकार मांग की जाती है (प्रत्येक मद में मांग की जाने वाली राशि का विस्तृत विवरण एनेक्सर–5 में उपलब्ध है) – i. वेतन मद मे कुल 1502.620 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है। इस मांग मे अब तक स्वीकृत राज्य व जिला स्तरीय पदों की वेतन की मांग राशि शामिल है। (विवरण एनेक्सर 6 में अंकित है) ii. स्टेशनरी मद मे 42.00 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है। iii. जिला व राज्य स्तरीय अधिकारियों के उपयोग मे आने वाले वाहनों हेतु कुल 127.200 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है। iv. जिला व राज्य परियोजना कार्यालय के उपयोग के लिये कार्यालय व्यय 293.280 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है। v. प्रशिक्षण व कार्यशालायें आयोजित करने हेतु राज्य व जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु कुल 170.400 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है। vi. आगन्तुकों हेतु होने वाले व्यय के मद मे कुल 1.80 लाख रूपये की मांग की जाती है। vii. परियोजना के क्रियान्वयन के मूल्यांकन हेतु 25.00 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है। viii. राज्य स्तर पर एक सतर्कता दल का गठन कर राज्य में माध्यमिक शिक्षा व इससे जुडी परियोजनाओं का आकस्मिक परिवेक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इस दल मे निम्न अधिकारियों के पद सृजित करते हुये दल का गठन किया जाना प्रस्तावित है– a) संयुक्त निदेशक–1 b) सहायक निदेशक–1 c) कार्यक्रम अधिकारी–1 d) वरिष्ठ लिपिक–1 e) कम्प्यूटर ऑपरेटर–1 xi. राज्य व जिला स्तर पर शोध अध्ययन हेतु कुल 19.00 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है। x. अन्य आकस्मिक व्यय हेतु राज्य व जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु कुल 21.00 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है। उक्तानुसार एमएमईआर मद में कुल मिलाकर 2242.300 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है। उक्त बिन्दुओं के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना का कुल आकार 1065.2133 करोड़ रूपये प्रस्तावित है (संक्षिप्त विवरण एनेक्सर–7 मे संलग्न है)। इस विवरण के अनुसार योजना का आकार निम्न प्रकार है :– i. सिविल कार्य – 246.712 करोड़ रूपये (योजना का 23.16 प्रतिशत) ii. आवर्ति व्यय – 605.1384 करोड़ रूपये iii. गुणवत्ता उन्नयन पर व्यय – 62.2625 करोड़ रूपये iv. नवाचार पर व्यय – 0.855 करोड़ रूपये v. एमएमईआर मद पर व्यय – 22.423 करोड़ रूपये उक्तानुसार वार्षिक योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	इस बिन्दु पर लिए गये निर्णय के अनुसार सभी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

3.	**प्रस्ताव सं. 3 – माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण देना** राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों मे योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये माध्यमिक शिक्षा निदेशक को शामिल करते हुये एक समिति का गठन किया गया। इस समिति मे लिये गये निर्णयों के अनुसार योग शिक्षा के प्रसार के लिये निम्न गतिविधियॉ किया जाना आवश्यक है– 1. माध्यमिक शिक्षा के शारीरिक शिक्षकों को योग शिक्षा देना व उन्हें अपने विद्यार्थियों को योग शिक्षा प्रदान करने का प्रशिक्षण देना। 2. विभागीय तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के समस्त आवासीय प्रशिक्षणों मे योग शिक्षा को प्रातः कालीन व्यायाम गतिविधियों मे सम्मिलित किया जाना। उक्त गतिविधियों के संचालन हेतु माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शारीरिक शिक्षकों मे से एक चौथाई चयनित शारीरिक शिक्षकों को इस वर्ष योग शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रशिक्षण में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा तैयार मॉड्यूल उपयोग में लेते हुये लगभग 1250 शारीरिक शिक्षकों को मई 2011 मे योग प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु तथा अनुमोदन की स्थिति में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना मे शामिल करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत है।	माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
4.	**प्रस्ताव सं. 4 – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना में स्वीकृत राशि का शपथ–पत्र व Resolution मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भिजवाना** राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकृत राशि का शपथ–पत्र व Resolution केन्द्र सरकार को भिजवाना होता है। यह Resolution राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। पूर्व में शपथ–पत्र व Resolution भिजवाने हेतु निष्पादक समिति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये पेपर सर्कुलेशन द्वारा निष्पादक समिति की स्वीकृति प्राप्त की जाती रही है। किन्तु यह प्रक्रिया बहुत श्रमसाध्य रहती है तथा अंतिम समय पर कार्य करने से अनेक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अतः अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत की जाने वाली वार्षिक योजना की राशि प्राप्त करने के लिये भिजवाये जाने वाले शपथ–पत्र व Resolution को आवश्यकता होने पर इसी प्रस्ताव के तहत भिजवाने की स्वीकृति मांगते हुए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
5.	**प्रस्ताव सं. 5 – मॉडल स्कूल योजना में स्वीकृत राशि का शपथ–पत्र व रेज्योलूशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भिजवाना** राजस्थान राज्य की मॉडल स्कूल योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा फिलहाल 91 मॉडल स्कूलों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष 95 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में मॉडल स्कूल बनाने की स्वीकृति प्राप्त होने पर इन मॉडल स्कूलों के लिये भी स्वीकृत राशि का शपथ–पत्र व Resolution केन्द्र सरकार को भिजवाना होगा। यह Resolution राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। पूर्व में शपथ–पत्र व Resolution भिजवाने हेतु निष्पादक समिति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये पेपर सर्कुलेशन द्वारा निष्पादक समिति की स्वीकृति प्राप्त की जाती रही है। किन्तु यह प्रक्रिया बहुत श्रमसाध्य रहती है तथा अंतिम समय पर कार्य करने से अनेक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अतः अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किये जाने पर मॉडल स्कूल योजना की राशि प्राप्त करने के लिये भिजवाये जाने वाले शपथ–पत्र व Resolution को आवश्यकता होने पर इसी प्रस्ताव के तहत भिजवाने की स्वीकृति मांगते हुए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	इस प्रस्ताव के अन्तर्गत 91 मॉडल स्कूलों के साथ ही 4 अन्य सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत मॉडल स्कूलों को शामिल करते हुए कुल 95 मॉडल स्कूलों के लिए आवश्यक राशि का शपथ पत्र व Resolution भेजने का निर्णय किया गया।

6. **प्रस्ताव सं. 6 – प्रायोगिक तौर पर 20 जिलों में स्मार्ट क्लास प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त करना** :– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार राजस्थान राज्य में प्रायोगिक तौर पर 20 जिलों में स्मार्ट क्लास योजना को केन्द्र सरकार की स्वीकृति मिल सकती है। इस हेतु राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के जिला मुख्यालय की सैकण्डरी / सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। प्रत्येक चयनित विद्यालय में कक्षा–9 व कक्षा–10 के विद्यार्थियों हेतु 2 स्मार्ट क्लास बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक स्मार्ट क्लास में निम्न प्रकार आवश्यकतायें होंगी :–

क्र. सं.	आवश्यकता	दर	कुल मूल्य	विशेष विवरण
1	छात्र फर्नीचर (40X2)	0.01 लाख रू. प्रति सेट	0.80 लाख रूपये	
2	इन्टरएक्टिव प्रोजेक्टर (1X2)	2.25 लाख रू. प्रति प्रोजेक्टर	4.50 लाख रूपये	
3	विज्यूएलाईजर (1X2)	0.50 लाख रू. प्रति विज्यूएलाईजर	1.00 लाख रूपये	
4	सीलिंग माउण्टर व केबलिंग (1X2)	0.05 लाख रू. प्रति सीलिंग माउण्टर व केबलिंग	0.01 लाख रूपये	
5	वाल माउण्ट स्क्रीन (1X2)	0.05 लाख रू. प्रति वाल माउण्ट स्क्रीन	0.01 लाख रूपये	
6	कम्प्यूटर विद पेरिफेरल्स (2X2)	0.50 लाख रू. प्रति कम्प्यूटर विद पेरिफेरल्स	2.00 लाख रूपये	
7	अन्य आकस्मिक आवश्यकतायें व रख–रखाव (1X2)	0.50 लाख रू. प्रति विद्यालय	1.00 लाख रूपये	
8	कुल योग		9.32 लाख रूपये	

अतः उक्तानुसार 20 जिलों में स्मार्ट क्लास द्वारा अध्यापन प्रारम्भ करने के लिये 9.32 लाख रूपये प्रति विद्यालय की दर से कुल 186.4 लाख रूपये की आवश्यकता होगी। अतः उक्तानुसार प्रस्ताव बनाकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भिजवाने की स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

यह प्रस्ताव संशोधित रूप में बिन्दु सं. 8 के अनुसार स्वीकृत किया गया।

7. **प्रस्ताव सं. 7 – अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु**

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सं. 8 से 17 तक के प्रस्ताव अनुपूरक एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत किए गए।

8. **प्रस्ताव सं. 8– प्रस्ताव सं.–6 में प्रति विद्यालय 9.32 लाख रूपये के स्थान पर प्रति विद्यालय 9.50 लाख रूपये की राशि मानना।**

पूर्व प्रसारित एजेण्डा में प्रस्ताव सं. 6 में दी गयी सारणी में क्रं. सं. 4 व 5 प्रत्येक पर दी गयी कुल लागत 0.01 लाख रूपये के स्थान पर 0.10 लाख रूपये बनती है अतः संशोधित सारणी व मूल्य निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	आवश्यकता (प्रति विद्यालय दो कक्षा कक्ष के अनुसार)	दर	कुल मूल्य
1	छात्र फर्नीचर (40X2)	0.01 लाख रू. प्रति सेट	0.80 लाख रूपये
2	इन्टरएक्टिव प्रोजेक्टर (1X2)	2.25 लाख रू. प्रति प्रोजेक्टर	4.50 लाख रूपये
3	विज्यूएलाईजर (1X2)	0.50 लाख रू. प्रति विज्यूएलाईजर	1.00 लाख रूपये
4	सीलिंग माउण्टर व केबलिंग (1X2)	0.05 लाख रू. प्रति सीलिंग माउण्टर व केबलिंग	0.10 लाख रूपये
5	वाल माउण्ट स्क्रीन (1X2)	0.05 लाख रू. प्रति वाल माउण्ट स्क्रीन	0.10 लाख रूपये
6	कम्प्यूटर विद पेरिफेरल्स (2X2)	0.50 लाख रू. प्रति कम्प्यूटर विद पेरिफेरल्स	2.00 लाख रूपये
7	आकस्मिक आवश्यकतायें व रख–रखाव (1X2)	0.50 लाख रू. प्रति विद्यालय	1.00 लाख रूपये
8		**कुल योग**	9.50 लाख रूपये

उक्तानुसार 20 जिलों की 20 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास द्वारा अध्यापन प्रारम्भ करने के लिये 9.50 लाख रूपये प्रति विद्यालय की दर से कुल 189.00 लाख रूपये की आवश्यकता होगी। यह संशोधित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

यह प्रस्ताव मूल रूप में प्रस्ताव सं. 6 का ही संशोधित रूप है अतः प्रस्ताव सं. 6 को प्रस्ताव सं. 8 के अनुरूप अनुमोदित किया गया।

9. <u>प्रस्ताव सं. 9 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में राज्य परियोजना कार्यालय हेतु दो कार क्रय करना</u>

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत संचालित होने वाली विभिन्न परियोजनाओं यथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बालिका छात्रावास तथा मॉडल स्कूल के संचालन, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग आदि कार्यो हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के अधिकारियों को राज्य के विभिन्न भागों की निरन्तर यात्राएँ करनी पडती हैं। इसी प्रकार राज्य परियोजना कार्यालय के अधिकारियों को दैनिक आधार पर भी विभिन्न स्थानों के लिये वाहनों की आवश्यकता होती है। इन यात्राओं के दौरान अनुबन्ध द्वारा अनुबन्धित एजेन्सी के द्वारा प्रदत्त वाहनों का उपयोग किया जाता है, किन्तु अभी तक का अनुभव बताता है कि अनुबन्धित वाहनों का उपयोग करने पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता हैं। जैसेः–

- वाहन समय पर नहीं आना,
- अधिकारियों को एक स्थान पर छोड़कर वाहन चालक का इधर–उधर चले जाना,
- एक ही वाहन का एक से अधिक स्थानीय कार्यालयों में उपयोग करना,
- जिस वाहन के कागजात प्रस्तुत किये जाते हैं उस वाहन का उपयोग नहीं करना,
- पुराने व समस्याग्रस्त वाहनों का उपयोग करना,
- एक अधिकारी वाहनों की व्यवस्था करने में ही लगा रहता है जिससे उसकी क्षमताओं का रचनात्मक उपयोग नही हो पाता है।

उक्त समस्याओं के कारण यह महसूस किया जा रहा है कि यदि परियोजना में उपलब्ध राशि से दो कार खरीद कर उन पर अनुबन्ध के आधार पर चालक लगाया जाये तो वाहनों की व्यवस्था सम्बन्धी उपरोक्त समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता हैं। अतः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की प्री–प्रोजेक्ट एक्टीविटी मद में उपलब्ध राशि से मारूती सुजुकी कम्पनी की दो स्विफ्ट डिजायर कार खरीदने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

राज्य परियोजना कार्यालय में 2 कार क्रय करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

10 **प्रस्ताव सं. 10– एन.आई.सी. के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वेबपोर्टल विकसित करवाना** :– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन चल रही गतिविधियों के संचालन व क्रियान्वयन के दौरान निरन्तर यह अनुभव किया जा रहा है कि राज्यस्तरीय अधिकारियों, जिलास्तरीय अधिकारियों, विद्यालय प्रशासकों, शिक्षकों, अन्य शिक्षाविदों एवं आमजन के मध्य परस्पर संवाद एवं सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की अपनी एक वेबपोर्टल होना आवश्यक है। इस वेबपोर्टल का निम्न कार्यों के लिये उपयोग किया जा सकता है :–

- विभिन्न कार्यालयों के मध्य सूचनाओं का आदान–प्रदान।
- सरकार के विभिन्न विभागों के साथ त्वरित सामन्जस्य स्थापित करना।
- आमजन के साथ सीधा संवाद स्थापित कर समस्या समाधान व शिकायत निराकरण तंत्र विकसित करना।
- पारदर्शिता, संवेदनशीलता, जबावदेही व कार्यकुशलता बढ़ाना।
- प्रशिक्षण व कार्यशालाओं में नोडल केन्द्र के रूप में उपयोग करना।
- ऑनलाईन डेटा एन्ट्री कार्य में सुगमता होना।
- विभिन्न बिन्दुओं पर सुझाव प्राप्त करना।
- केन्द्र के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करना।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विकसित की जाने वाली वेबपोर्टल बनाने व उसके रख–रखाव के लिये भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सूचना जनसम्पर्क विभाग के नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेन्टर से किये गये सम्पर्क के आधार पर स्टेट इन्फोरमेटिक्स ऑफिसर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार बेवपोर्टल डिजाइन करने पर निम्न प्रकार राशि व्यय होने की आशा है :–

S. No.	Activity	Estimated Cost (Rs. in Lakhs)	Remarks
1-	System Study and Design, Development and Operations including post-oprations (Total period is of 1 year)	6.00	Hiring of manpower through NICSI
2-	System Software	2.50	Portal Server Software
3-	Training, Tour & Travel, Communication, Consumbales, Refreshment, miscellaneous & contingency for NIC RSC Technical Support Team	4.00	Training of department officials
4-	NICSI service charges (@ 10% of 2 & 3)	0.65	
	Grand Total	**13.15**	

अतः राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वेबपोर्टल डिजायन करने के लिये नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेन्टर को अधिकृत करने व उक्तानुसार आवश्यक राशि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की प्री–प्रोजेक्ट एक्टीविटी मद से व्यय करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

11	**प्रस्ताव सं. 11 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के बजट, वित्त एवं लेखा नियम में संशोधन करना** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के बजट, वित्त एवं लेखा नियम (BF & AR) जो निष्पादक समिति की दिनांक 19.04.2010 की बैठक में स्वीकृत किये गये थे, उनके उपयोग के दौरान अनेक व्यावहारिक समस्याओं का अनुभव करना पड़ रहा है। जैसे:– यदि वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 20 लाख रूपये से अधिक बनता है तो परिषद् की बजट, वित्त एवं लेखा नियम में DGS & D के क्रय दर अनुबंध पर आधारित वस्तुओं को भी बिना खुली निविदा के नहीं खरीदा जा सकता है जबकि राज्य सरकार के सामान्य वित्त एवं लेखा नियम (GF & AR) के नियमों में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी प्रकार राज्य सरकार के नियमों के अनुसार राज्य व केन्द्र सरकार के उपक्रमों से वस्तुयें क्रय करने पर निविदा आमन्त्रित करना आवश्यक नहीं है जबकि परिषद् के नियम में इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया गया है। परिषद् के स्वयं द्वारा प्रस्तुत एवं निष्पादक समिति से अनुमोदित नियमों में उक्त जटिलता आने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि परिषद् में उक्त बजट, वित्त एवं लेखा नियम तैयार करते समय कोई अनुभवी लेखाधिकारी कार्यरत नहीं थे तथा इन नियमों को डी.पी.ई.पी. के 10 वर्ष से भी अधिक पुराने नियमों के आधार पर तैयार किया गया था। अब व्यावहारिक समस्याओं के सामने आने पर उक्त नियमों में संशोधन की आवश्यकता महसूस हो रही है। परिषद् के बजट, वित्त एवं लेखा नियम के नियम–1 के बिन्दु–4 के अनुसार इन नियमों में संशोधन का अधिकार निष्पादक समिति के अध्यक्ष के पास है। नियमों में किये गये संशोधन के बारे में निष्पादक समिति को आगामी बैठक में कारण सहित सूचित करना होता है। अतः उक्त नियम–1 की अनुपालना में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की बजट, वित्त एवं लेखा नियमावली में निम्नानुसार संशोधन करने हेतु प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति व निष्पादक समिति की सहमति हेतु प्रस्तुत हैं :– **संशोधन–1 नियमावली के नियम–1 में निम्नानुसार बिन्दु संख्या–6 जोड़ना :–** In case of any ambiguity the rules of GF & AR of Rajasthan Govt. will prevail over the rules of this BF & AR of RCSE. **संशोधन–2 नियमावली के Part–2 के Chapter–1 के Rule No.–4 को निम्न प्रकार संशोधित करना :–** All the goods which are on DGS & D rate and contract can be purchased without calling tenders upto a limit of Rs. 20 Lacs in each case के स्थान पर इस नियम को इस प्रकार पढ़ा जाना है All the goods which are on DGS & D rate contract can be purchased without calling tenders. **संशोधन–3 नियमावली के Part–2 के Chapter–1 के Rule No.–6 के बिन्दु संख्या–1 को निम्न प्रकार संशोधित करना :–** No item will be purchased without the tenders except the condition mentioned in para-2 of this rule. Even if the items/goods are produced and distributed by Central Govt./ State Enterprises then also limited tender should be followed for a purchase below amount of rupees 50,000/- and open tender method should be followed in case of purchaes above rupees 50,000/- के स्थान पर इस नियम को इस प्रकार पढ़ा जाना है No item will be purchased without the tenders except the condition mentioned in para-2 & para-3 of this rule. **संशोधन–4 नियमावली के Part–2 के Chapter–1 के Rule No.–6 के बिन्दु संख्या–3 जोड़ना :–** There will be no need to call tenders if the supplier is a Central Govt. or State Govt. enterprises / Department / Departmental Company / Department Society etc. if such firm is identified in GF & AR of GOR for suppling goods / services without tender.	इस प्रस्ताव पर बिन्दुवार निम्न प्रकार निर्णय लिए गये:– (i) प्रथम संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। (ii) संशोधन सं. 2 से 4 हेतु राज्य सरकार द्वारा नव (GF & AR) के अनुरूप बनाते हुए प्रस्ताव पुनः अध्यक्ष, निष्पादक समिति व प्रमुख शासन सचिव के समक्ष प्रस्तुत किए जावें।

12 **प्रस्ताव सं. 12– प्री–प्रोजेक्ट एक्टीविटी मद से खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भारत संचार निगम लिमिटेड से क्रय करना** :– प्री–प्रोजेक्ट एक्टीविटी मद में 248 ब्लॉक मुख्यालय की विद्यालयों, 33 जिला परियोजना कार्यालयों, 41 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों, 7 उपनिदेशक कार्यालयों, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय व राज्य परियोजना कार्यालय हेतु निष्पादक समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत किये गये बजट के अनुसार कुल मिलाकर 568 कम्प्यूटर, 568 यू.पी.एस. व 469 प्रिन्टर खरीदे जाने हैं। उक्त क्रय खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा करने पर निम्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:–

(i) न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले फर्म से खरीद की अनिवार्यता के चलते क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना सम्भव नहीं होगा।

(ii) आपूर्तिकर्ता फर्म को एक मुश्त राशि दे देने के बाद उस फर्म पर परिषद् का नियन्त्रण नहीं रहेगा।

(iii) कम्प्यूटर व ब्रॉड बैण्ड के लिये कोई समस्या आने पर उसका निराकरण हो पाना मुश्किल होगा।

(iv) जिस गुणवत्ता के सामान का क्रय किया गया है उसी गुणवत्ता के सामान की वास्तव में सभी जगह आपूर्ति हो गई है, इसे सुनिश्चित कर पाना मुश्किल होगा तथा भविष्य में गुणवत्ता संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर उसका समाधान कर पाना बहुत मुश्किल होगा।

(v) निविदा प्रक्रिया में सफल रहने वाली फर्म द्वारा निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने पर उस पर जुर्माना लगाना व वसूलना मुश्किल भरा होगा।

दूसरी तरफ भारत सरकार के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) व HCL के सहयोग से चलाई जा रही USOF योजना के अन्तर्गत ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से कम्प्यूटर व ब्रॉड बैण्ड कनेक्शन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इन कम्प्यूटर के Specification व दर निम्न प्रकार हैं :–

क्र. सं.	प्रस्ताव का विवरण	योजना–1		योजना–2	
		कॉन्फीग्रेशन	मूल्य	कॉन्फीग्रेशन	मूल्य
1	मूल योजना	i) Intel Atom Processor N230 ii) Genuine Window Vista Starter Edition iii) 512 MB Memory iv) 80 GB Hard Disk Drive v) 43.18 cm CRT Monitor vi) Optical Scroll Mouse vii) Internet Multimedia Keyboard viii) Std Micro ATX Cabinet ix) Internal ADSL Modem Card x) Antivirus with 1 yr. validity xi) Warranty - 3 year warranty, except for mouse and keyboard.	**अ) डाउन पेमेन्ट**– रू. 2250/– **ब) 36 माह तक किश्त** – रू. 455/– प्रतिमाह **स) कुल राशि** – रू. 18,630/–	i) Intel Atom Processor N230 ii) Genuine Window Vista Starter Edition iii) 512 MB Memory iv) 80 GB Hard Disk Drive v) 43.18 cm CRT Monitor vi) Optical Scroll Mouse vii) Internet Multimedia Keyboard viii) Std Micro ATX Cabinet ix) Internal ADSL Modem Card x) Antivirus with 1 year validity xi) Warranty - 5 year warranty, except for mouse and keyboard.	**अ) डाउन पेमेन्ट** – रू. 2250/– **ब) 60 माह तक किश्त** – रू. 300/– प्रतिमाह **स) कुल राशि** – रू. 20,250/–

उक्त दोनों योजनाओं में दर्शाया गया मूल्य दूरस्थ व ग्रामीण इलाकों में स्थित BSNL की USOF योजना में आने वाले एक्सचेंज के दायरे में स्थित

इलेक्ट्रोनिक उपकरण क्रय करने हेतु यह निर्णय किया गया कि प्रस्तावित खरीद खुली निविदा प्रक्रिया के द्वारा अथवा DGS&D प्रक्रिया द्वारा किया जावे।

विद्यालयों के लिए लागू होगा। शेष विद्यालयों के लिये लगभग 4,500/– रूपये एक मुश्त अलग से देने होंगे।

उक्त दोनों योजनाओं में BSNL के 99 रूपये मासिक शुल्क, 150 रूपये मासिक शुल्क या अन्य किसी ब्रॉड बैण्ड योजना में देय मासिक शुल्क चुका कर ब्रॉड बैण्ड इन्टरनेट कनेक्शन लिया जा सकेगा।

परिषद् यदि उच्च विशिष्टता के उपकरण लेना चाहती है तो उक्त Specification में बदलाव करने हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध हैं :–

S. No.	Particular of Up gradation	Rate in Plan-1 (Brond band PC With 3 years EMI Option)	Rate in Plan-2 (Brond band PC With 5 years EMI Option)
1	1 GB RAM in lieu of 512 MB RAM	Rs. 720/-	Rs. 720/-
2	2 GB RAM in lieu of 512 MB RAM	Rs. 3,430/-	Rs. 3,430/-
3	600 VA UPS (Voltage range 120-280V AC)	Rs. 2,370/-	Rs. 2,880/-
4	15'' TFT Monitor in lieu of 17" CRT Monitor	Rs. 1,985/-	Rs. 2,090/-
5	18.5" TFT Monitor in lieu of 17" CRT Monitor	Rs. 3,150/-	Rs. 3,320/-
6	Onsite warranty only for the PC for the plan period (Only for the institutional customers)	Rs. 2,180/-	Rs. 2,299/-

उक्तानुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्रय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक क्रय समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने उक्त योजना के अन्तर्गत सप्लाई किये जाने वाले कम्प्यूटरों का अवलोकन कर यह पाया है कि यदि दूसरी योजना के तहत दिये जाने वाले कम्प्यूटर 5 वर्षीय मासिक किश्तों के आधार पर क्रय किये जाते हैं तो परिषद्, माध्यमिक शिक्षा विभाग व विद्यालयों को यह सुविधा होगी कि योजनावधि के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने पर कंपनी का भुगतान रोकने का विकल्प उपलब्ध होगा तथा अनुबंध की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा लगातार 5 वर्षों तक कम्प्यूटर व इन्टरनेट का उपयोग कर पाना भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके साथ ही आपूर्तिकर्ता कम्पनी को एक मुश्त बहुत बड़ी राशि देने से भी बचा जा सकेगा तथा परिषद् के पास बचने वाली राशि के ब्याज का अन्य जगह उपयोग किया जा सकेगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा भी इसी योजना में 1982 शासकीय हाई/हायर सैकण्डरी स्कूलों के लिये बी.एस.एन.एल. के माध्यम से कम्प्यूटर क्रय कर इन विद्यालयों में स्थापित करवाये जा रहे हैं।

उक्त परिस्थितियों के मध्यनजर 568 कम्प्यूटर, 568 यू.पी.एस. व 469 प्रिन्टर भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड से बिना निविदा के क्रय करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

13	**प्रस्ताव सं. 13– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत नियुक्त किये गये अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता का भुगतान करना :–** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में राज्य परियोजना निदेशक का कार्यभार माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा अपने विभाग के कार्यभार के साथ में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चल रही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बालिका छात्रावास एवं मॉडल स्कूल योजनाओं से संबंधित कार्य भी करना होता है। इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक को परियोजना मद से फिलहाल किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता है, किन्तु इस अतिरिक्त कार्यप्रभार के लिये किये जाने वाले कार्य की अधिकता को देखते हुए अन्य समकक्ष अधिकारियों को दोहरा कार्य करने पर दिये जाने वाले भत्ते के अनुरूप ही राज्य परियोजना निदेशक को परियोजना मद से 1,000/– रूपये मासिक परियोजना कार्यभत्ता दिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। इसी प्रकार परियोजना में माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार के नियमानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया किः– (i) प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार के सेवा नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जावे। (ii) राज्य परियोजना निदेशक को परियोजना मद से 1500/– मासिक राशि देने का प्रस्ताव अलग से भिजवाया जावे।
14	**प्रस्ताव सं. 14– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत नियुक्त किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को टेलीफोन के CUG हेतु प्रतिमाह राशि का भुगतान करना :–** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में नियुक्त किये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को परियोजना के कार्यों से निरन्तर अपने स्वयं के मोबाईल/टेलीफोन का उपयोग करना पड़ता है। इस मद में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने स्वयं के मोबाईल / टेलीफोन का उपयोग करते हुए परियोजना के कार्यों का त्वरित व समयबद्ध संपादन करने में सहयोग देने के उद्देश्य से इन्हें निम्न प्रकार राशि मासिक आधार पर दिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है – 1 अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक – 1,000/– रू. प्रतिमाह 2 राज्य परियोजना कार्यालय के अन्य अधिकारी – 600/– रू. प्रतिमाह 3 जिला परियोजना कार्यालय के अधिकारी – 600/– रू. प्रतिमाह	परिषद् के अधिकारियों व कर्मचारियों को CUG योजना में भुगतान करने के स्थान पर उनके द्वारा पहले से ही इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल के बिलों के पुनर्भरण हेतु मासिक आधार पर एक मुश्त राशि दी जावे। SSA के द्वारा दी जा रही राशि को देखते हुए इस राशि के प्रस्ताव अलग से बनाकर स्वीकृति प्राप्त की जावे।
15	**प्रस्ताव सं. 15– मॉडल स्कूल योजना में स्थापित किये जाने वाले विद्यालयों के संचालन हेतु दिशा–निर्देश :–** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक्स् में प्रति ब्लॉक एक विद्यालय के अनुसार 186 मॉडल स्कूल स्थापित किये जाने हैं। इन विद्यालयों में संचालन के लिये 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र व राज्य सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत व 25 प्रतिशत तथा 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र व राज्य सरकार का अंशदान 50–50 प्रतिशत होगा। इन मॉडल स्कूल्स के भवन, पाठ्यक्रम, स्टॉफ पैटर्न आदि की भर्ती से संबंधित नियम निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं :– 1. **विद्यालय भवन एवं कक्ष निर्माण**– 16 कक्षा कक्षों के अलावा लैब, लाइब्रेरी सहित 21 अन्य कक्ष होंगे। 2. **पाठ्यक्रम**– मॉडल स्कूल की स्थापना मूलतः KVS पैटर्न पर की गई है अतः NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया जायेगा, ताकि केन्द्र के स्तरानुकूल ही शिक्षण कार्य हो सकें। 3. **संबद्धता**– मॉडल स्कूल्स की CBSC से सबंद्धता रहेगी, क्योंकि पाठ्यक्रम NCERT का लागू किया जायेगा। 4. **शिक्षण का माध्यम**– केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पैटर्न के अनुसार ही विज्ञान व गणित विषय का शिक्षण केवल अंग्रेजी माध्यम से होगा। जबकि सामाजिक	इस प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि मॉडल स्कूलों के संचालन संबंधी दिशा निर्देश तय करने के लिए एक समिति बनाकर उसकी रिपोर्ट के आधार पर दिशा निर्देश तय किए जावें।

	विज्ञान का अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों ही माध्यम से आवश्यकतानुसार अध्यापन कराया जायेगा। 5. **शैक्षिक पंचांग**– मॉडल स्कूल की सबंद्धता CBSC से किये जाने पर इनका संचालन मूलतः केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुसार ही किया जायेगा, किन्तु खेलकूद आदि गतिविधियाँ शिक्षा विभाग के पंचांग के अनुसार राज्य के विद्यालयों के साथ संचालित की जायेगी। 6. **परीक्षा का स्वरूप**– केन्द्रीय विद्यालयों के अनुरूप ही कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा CBSC के माध्यम से तथा शेष कक्षाओं की परीक्षा विद्यालय स्तर पर ली जायेगी। 7. **प्रवेश**– कक्षा–6 में प्रवेश विद्यालय स्तर पर चयन टेस्ट लेकर किया जायेगा। कक्षा 7, 8, 9, 10 व 12 में स्थान रिक्त होने पर विद्यालय स्तर पर चयन परीक्षा लेकर किया जायेगा व कक्षा 11 में स्थान रिक्त होने पर विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 10 में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता देते हुये मैरिट से किया जायेगा। छात्र संख्या 40 से अधिक होने पर अतिरिक्त वर्ग बनाया जायेगा। 8. **स्टॉफ पैटर्न**– प्रत्येक मॉडल स्कूल उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। जिसमें एक पद प्रधानाचार्य, एक उप प्रधानाचार्य, अनिवार्य हिन्दी व अंग्रेजी के अलावा विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक ऐच्छिक विषय के अध्यापन हेतु एक व्याख्याता, 9 वरिष्ठ अध्यापक, एक शा.शि. एवं एक क.लि. अथवा व.लि. के पद स्वीकृत किये जायेंगे। प्रत्येक विद्यालय हेतु 3 स.क., एक कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा एक भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड के रूप में संविदा पर लगाये जा सकेगें। 9. **कार्मिकों की भर्ती एवं पदोन्नति**– मॉडल स्कूल्स के लिये विशेष शिक्षकों की भर्ती की जायेंगी, जिन्हें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण करने में दक्षता प्राप्त हो। इन विद्यालयों के लिये सीधी भर्ती हेतु विशेष परीक्षा एवं साक्षात्कार लिये जायेंगे। परीक्षा में आवश्यकतानुसार विषय के प्रश्न पत्र के अलावा मॉडल स्कूल में अध्यापन के उद्देश्य से अंग्रेजी भाषा के प्रयोग एवं रूझान संबंधी मनोवैज्ञानिक प्रश्न भी शामिल कर विशेष परीक्षा ली जायेगी। प्रधानाचार्य पद 67 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 33 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जायेंगे। इन पदों से आगामी पदोन्नति शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी व समकक्ष पदों के रिक्त पदों के 5 प्रतिशत पदों पर की जा सकेगी। सीधी भर्ती हेतु राजकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 5 वर्ष में शिक्षण का अनुभव अनिवार्य हों। मॉडल स्कूल में छात्र संख्या 1000 से अधिक होने पर एक पद उप प्रधानाचार्य का भी होगा, जो 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरा जायेगा। व्याख्याता के पदों को 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरा जायेगा। मॉडल स्कूल्स में वरिष्ठ अध्यापकों के पदों को 100 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरा जायेगा। मॉडल स्कूल में 1–1 पद संगीत, चित्रकला अध्यापक, शारीरिक शिक्षक एवं पूर्णकालिक कम्प्यूटर शिक्षक के ग्रेड तृतीय के स्तर के होंगे, जिन्हें 100 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरा जायेगा। उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
16	**प्रस्ताव सं. 16– बालिका छात्रावास योजना में स्थापित किये जाने वाले छात्रावासों में प्रवेश देने हेतु दिशा–निर्देश** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक्स् में स्थापित किये जाने वाले बालिका छात्रावासों में प्रवेश देने हेतु राज्य सरकार द्वारा कुछ दिशा–निर्देश स्वीकृत करवाये गये थे। यह दिशा–निर्देश माह जून–जुलाई में संभावित रूप से प्रारम्भ होने वाले बालिका छात्रावासों हेतु जारी किये गये थे किन्तु किराये की व्यवस्था नहीं होने के कारण उक्त बालिका छात्रावास प्रारम्भ नहीं किये जा सके। इन छात्रावासों में प्रवेश देने हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किये गये थेः– **छात्रावासों में प्रवेश हेतु पात्रताः**– भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बालिका छात्रावास की योजना के अनुसार निम्नांकित श्रेणियों की बालिकाओं को छात्रावासों में प्रवेश दिये जाने के लिये पात्र माना गया है :–	इन दिशा निर्देशों में छात्रावासों में प्रवेश हेतु पात्रता की शर्त (क) को हटाने का निर्णय करते हुए शेष दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया गया।

	(क) बालिकाएं 14–18 वर्ष की आयु समूह की हों। (ख) बालिकाएं **सम्बन्धित ब्लॉक** के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययन कर रही हों। (ग) बालिकाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (BPL Families) की हों। **छात्रावासों मे प्रवेश हेतु वरीयताः–** छात्रावासों में बालिकाओं को निम्न वरीयता–क्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगाः– ➢ **प्रथम वरीयताः–** सम्बन्धित ब्लॉक की वे सभी बालिकाएं जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय/छात्रावास से कक्षा 8 पास की है तथा कक्षा 9 में अध्ययन नियमित रखना चाहती हैं। ➢ **द्वितीय वरीयताः– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं अल्पसंख्यक वर्ग** के ऐसे परिवारों की छात्राएँ जो कि **बी.पी.एल. परिवारों** की सूची में शामिल हैं। ➢ **तृतीय वरीयताः–** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे परिवारों की छात्राऐं जो **बी.पी.एल. परिवारों की सूची में शामिल नहीं हैं।** ➢ **चतुर्थ वरीयताः–** वे छात्राएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक वर्ग की तो नहीं हैं, परन्तु जिनके परिवार बी.पी.एल. परिवारों की सूची में शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बालिका छात्रावास की योजना के अनुसार प्रत्येक छात्रावास में कम से कम 50 प्रतिशत बालिकाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक वर्ग की होनी चाहियें। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की सभी छात्राओं को प्रवेश देने के बाद उनकी संख्या 50 प्रतिशत से कम रहती है तो शेष सीटों पर बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल अन्य परिवारों की छात्राओं को प्रवेश दिया जा सकेगा। **प्रवेश हेतु प्रक्रिया :–** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं बीपीएल परिवारों की छात्राऐं जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स के किसी Recognized विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हैं उन्हें प्रधानाध्यापक के प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। प्राप्त सभी आवेदन पत्रों, जिसमें अभिभावकों की सहमति प्राप्त हो, की जांच उपरोक्त वर्णित पात्रता के आधार पर प्रवेश समिति द्वारा की जाकर उपरोक्त वर्णित वरियता के अनुसार छात्रावास में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर प्रवेश सूची तथा आरक्षित सूची तैयार की जायें। उक्त दिशा–निर्देश स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं।	
17	**प्रस्ताव सं. 17– राज्य परियोजना कार्यालय में सलाहकार की नियुक्ति का अनुमोदन करनाः–**राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान (2010–2017) का निर्माण करने हेतु श्री रामरतन हर्ष व श्री रमेश चन्द शर्मा की नियुक्ति की गई है। इनमें से श्री हर्ष की नियुक्ति प्रमुख शासन सचिव महोदय की अनुमति से की गई थी तथा श्री शर्मा की नियुक्ति इनके सेवा निवृत होने के बाद तथा RMSA में किये गये कार्य के अनुभव को देखते हुए इसी माह की गई है। उक्त दोनों सलाहकारों के नियुक्ति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत हैं।	यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर